भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 रा मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट,
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र.- (022)22039680, फॅक्स - 22086984
ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road,
Churchgate, Mumbai – 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

Tr. no 2024

No.PA-I/Ch.5/61269010/**GR/Jharkhand/**61134028 Date: 27/06/2023 05/07/2023

To,

Sr. Accounts Officer,
I/c EDP Support Section.

Subject: **Uploading of Govt. of Jharkhand Orders on this office website.**

Sir,

This office has received Govt. of **Jharkhand** Orders regarding Dearness Relief @42% w.e.f. 01/01/2023 (7th Pay Commission) And DR @221% w.e.f. 01/01/2023 (6th Pay Commission) to the State Pensioners /Family pensioners

It is therefore requested to upload the said Orders on our office website i.e. **cag.gov.in/ae/mumbai/en**

I am to forward herewith a copy of Government of **Jharkhand**, Finance Department, Resolution NO.

1)No.12/एस--महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत–54/2017/1281/वि dated 03/05/2023.

2)No.वि. प्र. 6 ए–12/2013/1283/वि dated 03/05/2023.

You are requested to do the needful at the earliest and inform this section accordingly.

Yours faithfully,

Encl : As stated

Sr. Accounts Officer/PA-I

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 रा मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र.- (022)22039680,फॅक्स - 22086984
ई-मेल : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट : http://agmaha.cag.gov.in

2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/23/Govt/61269010/**Jharkhand**/Ch.5/जा.सं. 61134028 dt. 27/06/2023

सेवा में,
1. सभी खजाना कार्यालय,
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,
   लेखा-कोष भवन, ए विंग,
   बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,
   मुंबई-400 051.

विषय: 1)**Dearness Relief @42% w.e.f. 01/01/2023 to the Jharkhand State Government Pensioners/ Family pensioners. (7th Pay Commission).(Enhanced from 38% to 42%)**
2)Dearness Relief @221% w.e.f. 01/01/2023 (6th Pay Commission). (Enhanced from 212% to 221%).

संदर्भ --1)**Govt. of Jharkhand, Resolution No.** 1) L. No.**12/एस--महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत–54/ 2017/ 1281/ वि dated 03/05/2023.** 2) No. **वि. प्र. 6 ए–12/2013/ 1283/ वि dated 03/05/2023.**

महोदय,

उपरनिर्दिट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Jharkhand, Ranchi** के पत्र संख्या PEN—III/Jharkhand/DR/2023--24/1915 दिनांक 31/05/2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है

3. सभी **Jharkhand** सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।

4. **The said Orders have been uploaded on this office website i.e. cag.gov.in/ae/mumbai/en.**
कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
[signature]
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/23/Govt/61269010/Jharkhand/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार **(लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)**
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई. 20, कस्तुरी बिल्डिंग, तल मजला, जे. टाटा मार्ग, H.P. Petrolium House.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5th Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya – 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) , **Jharkhand, Ranchi—834 002** के पत्र संख्या **PEN—III/ Jharkhand/ DR/2022--23/ 1915 दिनांक 31/05/2023.**

पत्रांक : 12/एस–महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत–54/2017............1281/150

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक :...................

संकल्प

विषय : दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका– 9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/04/2023-P & PW (D) दिनांक 06.04.2023 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्त्तमान दर को 38% (अड़तीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 42% (बयालीस प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से मूल पेंशन का 42% (बयालीस प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जाय"।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1135/वि० दिनांक 17.04.2023 के क्रम में दिनांक 27.04.2023 की बैठक के मद सं० 08 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

पत्रांक : वि०प्र० 6ए–12/2013......1283/वि०

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक 03/05/2023

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की भांति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित (छठा वेतनमान) केन्द्रीय पेंशन/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17 (ए०)(बी०) के अनुसार पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

2. उपर्युक्त के अनुसार केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के भांति दिनांक 01.01.2006 (छठा वेतनमान) से राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महँगाई राहत अनुमान्य किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 212% (दो सौ बारह प्रतिशत) महँगाई राहत अनुमान्य है।

3. केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभ के अनुरूप महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया गया है और इसके आलोक में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/3(1)/2008 E.II (B), दिनांक 10.04.2023 के द्वारा छठे अपुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ते की दर को 212% (दो सौ बारह प्रतिशत) से बढ़ाकर 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के उक्त निर्णय को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को, जो अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा वेतनमान) में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत 212% (दो सौ बारह प्रतिशत) से बढ़ाकर 221% (दो सौ इक्कीस प्रतिशत) स्वीकृत किया जाय।"

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1214/वि० दिनांक 25.04.2023 के क्रम में दिनांक 27.04.2023 की बैठक के मद सं० 14 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Tr. no. 2024
EDP (S)

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013....1283/वि० राँची, दिनांक 03/05/2023

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची/सभी राज्यों के महालेखाकार कार्यालय/ मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखंड, रांची/ सांख्यिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

3/5/23

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

08 MAY 2023

Pen-1
L. 441